

## राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण राजस्थान जयपुर  
 क्रमांक:-प-7(1)/निजभूस/प्रशि./2012-13/9032-64 दिनांक:-07.12.12

समस्त परियोजना प्रबन्धक,  
 वाटरशैड सेल कम डाटासेन्टर,  
 जिला परिषद।

विषय:- दक्षता वृद्धि एवं प्रशिक्षण मद के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय/गैर सरकारी संस्थाओ से करवाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमो की दरो के सम्बन्ध मे।

संदर्भ:- निदेशालय का पत्रांक एफ.7(1) निजभूस /प्रशि/2012-13/ 8947-79 दिनांक 03.12.12

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र द्वारा पत्र का विषय उपरोक्त वर्णित विषय लिखा गया था। जिसके स्थान पर "दक्षता वृद्धि एवं प्रशिक्षण मद के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय संस्थाओ/कन्सोर्टियम पार्टनर से करवाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमो की दरो के सम्बन्ध मे" पढा जावे।

अतिरिक्त निदेशक  
 (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)

क्रमांक:-प-7(1)/निजभूस/प्रशि./2012-13/9032-64 दिनांक:-07-12-12

प्रतिलिपि :- 1. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर।

2. ए.सी.पी, निदेशालय, जयपुर को बैव साईट पर अपलोड करने एवं समस्त परियोजना प्रबन्धक को ई-मेल करने बाबत।

अतिरिक्त निदेशक  
 (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)